

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

नई दिल्ली, दिनांक: 12/01/2018

सं. 2011/टेली/6(3)/5 पार्ट

महाप्रबंधक

सभी भारतीय रेलें

(दूरसंचार परिपत्र सं. 02/2018)

विषय: आरसीआईएल को वित्त वर्ष 2016-17 के लिए देय समानुपातिक फाइबर अनुरक्षण प्रभार।

- संदर्भ: i) रेलवे बोर्ड के दिनांक 15/05/2105 का समसंख्यक पत्र
ii) रेलवे बोर्ड का दूरसंचार परिपत्र सं. 03/2017 एवं 04/2017.

रेलटेल को वित्त वर्ष 2016-17 के लिए क्षेत्रीय रेलों द्वारा ₹ 132 (एक सौ बत्तीस रुपए मात्र) प्रति किमी प्रति माह प्रति जोड़ी फाइबर की दर से समानुपातिक फाइबर अनुरक्षण प्रभार, प्लस लागू सांविधिक प्रभारों, के भुगतान के लिए रेल मंत्रालय का अनुमोदन एतद्वारा संसूचित किया जाता है। उपर्युक्त संदर्भाधीन (ii) के दूरसंचार परिपत्र में उल्लिखित अनुरक्षण प्रभारों के भुगतान की प्रक्रिया का पालन किया जाए।

- अगले संशोधन तक आरसीआईएल का भुगतान उपर्युक्त अनुमोदित दरों के आधार पर किया जाए और यदि भुगतान का समायोजन, दरों के अनुवर्ती अनुमोदन के पश्चात किया जाए।
- यदि प्रभारों के उपर्युक्त संशोधनों के कारण कोई राशि बकाया हो, तो आरसीआईएल को शीघ्र इसका भुगतान किया जाए।
- इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
- कृपया पावती दें।



(हरीश पवारिया)
निदेशक/दूरसंचार

ईमेल: dtele@rb.railnet.gov.in

फोन नं. 011-23388504

नई दिल्ली, दिनांक: 12/01/2018

सं. 2011/टेली/6(3)/5 पार्ट

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- iii) प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें।
- iv) भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलवे), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

शुभ
कृते वित्त आयुक्त/रेलवे

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- iv) एफ(एक्स)II एवं बजट शाखाएँ, रेलवे बोर्ड
- v) प्रधान मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर, सभी भारतीय रेलें।
- vi) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/रेलटेल कापरिशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गुरुग्राम को दिनांक 09.10.2017 और 07.11.2017 का पत्र सं. आरसीआईएल/2007/ओ एंड एम/ओ एंड एम

सं. 7637

चाविज़



(हरीश पवारिया)
निदेशक/दूरसंचार